रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-79/2024/967/22-2-2024-17(185)/2022

लखनऊ: दिनांक: 13 अगस्त, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर (बन्दी संख्या-49533) पुत्र स्व0 तहसीलदार सिंह, निवासी-सेमरा, थाना-चिल्ह, जनपद-मिर्जापुर का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-162/2000 में भा0द0वि0 की धारा-147,148,302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-01, भदोही के आदेश दिनांक 24.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दंण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 08.09.2022 तक 20 वर्ष, 07 माह, 29 दिन की अपरिहार सजा एवं 26 वर्ष, 08 माह, 24 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर द्वारा समय पूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने, संतोषजनक जेल आचरण होने तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत, शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन

विशेष सचिव ।

संख्या-79/2024/967(1)/22-2-2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर।

3- पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in